



## ऋण मैट्रिक्स

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

### चर्चा में क्यों?

भारत का घरेलू ऋण जून-2021 से जून 2024 के बीच सकल घरेलू उत्पाद के **36.6% से बढ़कर 42.9%** हो गया, जो एक व्यापक आर्थिक बदलाव का संकेतक है और इससे ऋण-से-जीडीपी अनुपात, लोक बनाम नजी ऋण तथा आंतरिक बनाम बाहरी ऋण जैसे प्रमुख ऋण मैट्रिक्स के परीक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ा है।

### प्रमुख ऋण मीट्रिक्स क्या हैं?

#### ■ ऋण से जीडीपी अनुपात:

- यह किसी देश के कुल ऋण और उसके सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का अनुपात है।
- यह देश की ऋण चुकाने की क्षमता को दर्शाता है। इसका उच्च अनुपात, राजकोषीय स्थिरता के लिये संभावित जोखिम का संकेतक है जबकि मध्यम अनुपात परबंधनीय है यदि आर्थिक विकास की स्थिति मजबूत है।
- भारत का संदर्भ: केंद्र सरकार का ऋण-जीडीपी अनुपात वर्ष 2024-25 में 57.1% और वर्ष 2025-26 में 56.1% होने का अनुमान है।
  - सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक इसे  $50 \pm 1\%$  तक लाना है।
  - कुल लोक ऋण में राज्य सरकारों की हसिसेदारी लगभग एक-तहाई है और वर्ष 2014-15 और 2019-20 के बीच समग्र लोक ऋण में वृद्धि में उनका योगदान 50% से अधिक था।

#### ■ लोक ऋण:

- प्रचिन: लोक ऋण से तात्पर्य सरकार द्वारा अपनी वकिसात्तमक तथा राजकोषीय आवश्यकताओं के वतितपोषण हेतु लयि जाने वाले ऋण से है।
- इसका भुगतान भारत की संचति नधि से कयिा जाता है और इसमें आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के ऋण शामिल होते हैं।
- संवैधानिक आधार: संवैधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार, संघ सरकार लोक ऋण को भारत की संचति नधि से देय अनुबंधति देनदारयिों के रूप में परभाषति करती है, जसि संसद द्वारा वधि बनाकर नरिधारति कयिा जा सकता है
- वर्गीकरण:
  - भारत की संचति नधि के अंतरगत ऋण (इसमें सरकारी परतभूतयिों और ट्रेजरी-बलि जैसे बाज़ार ऋण शामिल हैं)।
  - लोक खाता देयताएँ (जैसे भवषिय नधि, लघु बचत, आदी)।

#### ■ आंतरिक बनाम बाह्य ऋण:

- आंतरिक ऋण से तात्पर्य देश के अंदर से लयि गए लोक ऋणों (मुख्य रूप से घरेलू स्रोतों जैसे वयक्तयिों, बैंकों और वतितय संस्थानों) से है। इसे भारतीय रुपए में दर्शाया जाता है।
  - यह केंद्र के सार्वजनिक ऋण का 93% से अधिक हसिसा है और इसे वपिणन योग्य (सरकारी परतभूतयिों, ट्रेजरी-बलि) और गैर-वपिणन योग्य (वशिष परतभूतयिों, आदी) में वभाजति कयिा गया है।
- बाह्य ऋण से तात्पर्य अन्य देशों की सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं या वदिशी नविशकों के परतदेश के ऋण दायतियों से है, जो आमतौर पर वदिशी मुद्राओं में अंकति होते हैं।
  - इसमें वदिशी स्रोतों तथा बहुपक्षीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण भी शामिल हैं।
  - सतिंबर 2024 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले बाह्य ऋण का अनुपात 19.4% था।

### भारत में ऋण परबंधन से संबंधति प्रमुख प्रावधान:

#### ■ अनुच्छेद 292 और 293:

- अनुच्छेद 292: केंद्र सरकार को संसद द्वारा नरिधारति सीमा के अंदर भारत की संचति नधि की परतभूतपर धन उधार लेने की अनुमति है।
- अनुच्छेद 293: राज्य सरकारों को केंद्र की पूरव स्वीकृति से राज्य की संचति नधि की परतभूतपर घरेलू स्तर पर धन उधार लेने का

अधिकार है।

- **RBI अधिनियम, 1934:** आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को केंद्र सरकार की ओर से लोक ऋण का प्रबंधन करने के लिये अधिकृत किया गया है।
- **FRBM अधिनियम, 2003:** FRBM अधिनियम, 2003 का उद्देश्य राजकोषीय अनुशासन को संस्थागत बनाना, राजकोषीय घाटे को कम करना तथा घाटे के लिये लक्ष्य निर्धारित करके, पारदर्शिता बढ़ाकर एवं समय पर राजकोषीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करके दीर्घकालिक समष्टि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना है।

कारक	लोक ऋण पर प्रभाव	व्याख्या
राजकोषीय घाटे में वृद्धि	वृद्धि	उच्च राजकोषीय घाटे के कारण राजस्व एवं व्यय के बीच के अंतर को पूरा करने के लिये उधार लेने की आवश्यकता होती है।
राजस्व में वृद्धि (कर)	कमी	उच्च राजस्व से उधार लेने के साथ लोक ऋण की आवश्यकता कम हो जाती है।
व्यय में वृद्धि (जैसे, कल्याणकारी योजनाएँ)	वृद्धि	सरकारी व्यय में वृद्धि से घाटे के वित्तपोषण के लिये अधिक उधार लेना पड़ता है।
ब्याज दर में वृद्धि	वृद्धि	उच्च ब्याज दरों के कारण ऋण चुकाने की लागत में वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक उधार लेने से इसकी मात्रा में वृद्धि होती है।
नजीकरण/परसिंपत्ता बिक्री	कमी	परसिंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय से राजकोषीय घाटा कम हो सकता है और इस प्रकार उधार लेने की आवश्यकता कम हो सकती है।
वदेशी उधार	वृद्धि	वदेशी स्रोतों से उधार लेने से बाह्य ऋण में वृद्धि होती है।
मुद्रा अवमूल्यन	वृद्धि	अवमूल्यन से वदेशी ऋण के भुगतान की लागत में वृद्धि होने से कुल ऋण में वृद्धि हो जाती है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????????:**

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) समीक्षा समिति के प्रतिवेदन में सफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक केन्द्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण-जी.डी.पी. अनुपात 60% रखा जाए जिसमें केंद्र सरकार के लिये यह 40% तथा राज्य सरकारों के लिये 20% हो।
2. राज्य सरकारों के जी.डी.पी. के 49% की तुलना में केन्द्र सरकार के लिये जी.डी.पी. का 21% घरेलू देयतायें हैं।
3. भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयतायें हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)